

28/11
2022

प्राची एवं इनके अधिवक्ता ने उपरोक्त होकर प्राची एवं विपक्षीय के मध्य शहीनामा हो जाने से प्राचीना पत्र प्रकरण में कोई कार्यवाही आगे चलाया नहीं चाहे है का प्राचीना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर पत्रावली को सीगट से हलल की गई। वकील प्राची एवं प्राची को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद जांच अवलोकन पश्चात वकील प्राची द्वारा प्रस्तुत प्राचीना पत्र को स्वीकार किया जाता है। तथा न्यायालय द्वारा विचारार्थ प्राचीना पत्र प्रकरण सं. 55/2021 में कार्यवाही प्राची आगे नहीं चला है। प्राचीना पत्र में कार्यवाही इसी स्तर पर बंद की जाती है। पत्रावली फंसल शुभाट होकर नम्बर से कम है।

dy

उपखण्ड अधिकारी
इंगल

